R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 6
दिसंबर 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2007 के दौरान महत्त्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियां

जनवरी

- संपत्ति के मूल्यांकन, अपनी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन और स्वतंत्र मूल्यांककों के सूचीकरण के लिए नीति संरचना हेतु बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निर्धारित रिपो दर को 31 जनवरी 2007 से 25 आधार बिन्दु बढ़ाते हुए 7.50 प्रतिशत किया गया। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 6.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय बनी रही।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण वित्त) 31 जनवरी 2007 से उपलब्ध रिपो दर अर्थात् 7.50 प्रतिशत पर उपलब्ध करायी जाएगी।
- बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कारोबार के दिन सहित अधिकतम 5 कारोबारी दिवसों के भीतर शामिल होने वाली अल्पकालिक स्थिति के अधीन केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की अल्प बिक्री शुरू करें।
- भूसंपदा क्षेत्र, बकाया क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों, पूंजी बाज़ार निवेश और वैयक्तिक ऋणों (रिहाइशी आवास ऋणों को छोड़कर) के रूप में अर्हक ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- अनिवासी विदेशी खाता जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा को तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 100 आधार बिंदु से घटाकर 50 आधार बिंदु किया गया।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा को अलग-अलग मुद्रा/परिपक्वता अवधियों के लिए लिबोर/स्वैप दरों के नीचे लिबोर/स्वैप दरों के 25 आधार बिंदु तक घटाया गया।
- जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्ष के लिए बैंकों को अनिवासी विदेशी खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर 20 लाख रुपये से अधिक नये ऋण प्रदान करने से रोका गया। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि ऋण राशि को सीमा के भीतर रखने के लिए उसके कृत्रिम हिस्से नहीं करे।
- स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में मुद्रा तिजोरी धारण करने वाले बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी मुद्रा तिजोरियों में नोट छँटाई मशीनों के संस्थापन द्वारा नोट छँटाई को स्वचालित स्वरूप दें। भारतीय रिज़र्व बैंक को गंदे बैंक नोट के परेषण में पुनर्निगमनीय नोटों का वहन स्तर प्रत्येक परेषण में 10 प्रतिशत से बदलकर 5 प्रतिशत हो गया।
- निर्यातकों को अनुमति दी गईं कि वे किसी देश की मुद्रा में निधियों की अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ अपनी रूचि की किसी मुद्रा/मुद्राओं में एक अथवा एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता/खाते खोलें, जारी रखें और परिचालित करें।

फरवरी

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत बिंदु के आधे से बढ़ाया गया। यह बढ़ोत्तरी दो चरणों में प्रभावित होगी - 17 फरवरी 2007 से 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च 2007 से 6.00 प्रतिशत होगी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को *अपने घरों पर* सेवाएं प्रदान करते समय अपने द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों और व्यापक मानदण्डों का निर्धारण करें और ग्राहकों के अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में पारदर्शिता, दृष्टिकोण में समानता तथा शामिल जोखिमों में स्पष्ट रूप से कमी को सुनिश्चित करें।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को अनुमति दी गई कि वे भारत में ईक्विटी और/अथवा ऋण में अपने समस्त निवेश के बाज़ार मूल्य के 2 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाएं निरस्त और उनकी पुन: बुकिंग कर सकते हैं।

मार्च

- चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 को अधिसूचित नहीं किया गया था, अत: यह निर्णय लिया गया कि उन बैंकों को आंशिक ब्याज के भुगतान से छूट दी जाए जिन्होंने आरक्षित निधि अनुपात हेतु मांग और मियादी देयताओं की गणना के लिए आरक्षित निधि अनुपात में छूट के कारण 22 जून 2006 और 2 मार्च 2007 के बीच सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात के 3 प्रतिशत के स्तर का खंडन किया है, वे 24 जून 2006 से 8 दिसंबर 2006 की अवधि के लिए प्रति वर्ष (क) 3.50 प्रतिशत की दर पर पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष पर; (ख) 9 दिसंबर 2006 से 16 फरवरी 2007 की अवधि के लिए 2 प्रतिशत पर और (ग) 17 फरवरी 2007 से अगली सूचना तक 1.0 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान करें।
- 5 मार्च 2007 से शुरू करते हुए प्रत्यावर्तनीय रिपो आमेलन प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा में 2,000 करोड़ रुपए और द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा में 1,000 करोड़ रुपए को शामिल करते हुए प्रत्येक दिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सिमित रहा। यदि निविदाएं इन राशियों से अधिक होती हैं तो आबंटन समानुपातिक आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
- बैंकों/सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) को सूचित किया गया कि उधारकर्ता द्वारा मांगे गए ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना सभी श्रेणी के ऋणों के संबंध में ऋण आवेदन फार्म व्यापक स्तर के हों और उनमें संसाधन के लिए देय शुल्क/प्रभार, यदि हों, तो आवेदन के स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे शुल्कों की राशि लौटाए जाने, पूर्व भुगतान विकल्प और ऐसा कोई मामला जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करता है के बारे में सूचना शामिल रहे।

- बैंकों को सूचित किया गया कि उनकी अंतर-बैंक देयता पिछले वर्ष के 31 मार्च तक उनकी निवल संपत्ति के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स्थिति धारक निर्यातकों को अनुमति दी गई कि वे (i) पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अपनी औसत वार्षिक वसूली के 5 प्रतिशत (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान बकाए निर्यात आय के 10 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, की सीमा तक देय निर्यात बकाए को बट्टे खाते डालें।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त आयात बिलों के संसाधन के पहले अपने बैंकर/विख्यात ऋण एजेंसी से समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता पर ऋण रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते (i) बीजक का मूल्य 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हो, और (ii) लेन-देन की वास्तविकता तथा आयातक का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड संतोषप्रद हो।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसान विकास पत्रों सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण/उनमें निवेश के लिए कोई ऋण संस्वीकृत नहीं किया जाए।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे निर्यात के बीजक मूल्य पर ध्यान दिए बिना निर्यात की तारीख से छह महीने के बाद एक बार में छह महीने की एक अवधि तक निर्यात आय की वसूली अवधि को बढ़ा सकते हैं।

अप्रैल

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निर्धारित रिपो दर को 31 मार्च 2007 से 25 आधार बिंदुओं से बढ़ाते हुए 7.50 प्रतिशत से 7.75 किए गया। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को उपलब्ध करायी गई स्थायी चलनिधि सुविधाएं (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) 31 मार्च 2007 से रिपो दर अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं को एक प्रतिशत के आधे द्वारा बढ़ाया गया। यह बढ़ोत्तरी दो चरणों में - 14 अप्रैल 2007 से 0.25 प्रतिशत और 28 अप्रैल 2007 से 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभावित होगी।
- अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा को लिबोर/स्वैप दरों के 50 प्रतिशत बिंदुओं तक घटाया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा एक रुपए के खण्डों में जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट न तो अस्वीकृत किए जाएं और न उनको बिना भुगतान के लौटाया जाए।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के मामले में परियोजना की वित्तीय समापन अवधि पर परियोजना की पूर्णता की तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और यदि जैसा कि मूल रूप में परिकल्पित है परियोजना की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख को बढ़ाया गया है तो उस खाते को अवमानक माना जाएगा।
- अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों/काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों/आतंकवाद को वित्तीय सहायता से लड़ने-वायर अंतरण पर दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके द्वारा बैंकों को अनुदेश दिया गया कि वे मूल प्रेषक के संबंध में सटीक और सार्थक सूचना प्राप्त करें।
- लॉकरों के सरल परिचालन पर सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा (सीपीपीएपीएस) समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं पर पूर्व में जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की और नये दिशानिर्देश जारी किए।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आम जनता की जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर को संशोधित करते हुए 24 अप्रैल 2007 से प्रति वर्ष 11.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया।
- 9 मार्च 2007 को भारत सरकार की अधिसूचना कि भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से लागू होंगे के अनुपालन में कुल माँग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की आरक्षित नकदी निधि अनुपात की न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा को हटा दिया गया है। देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक समय-समय पर अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी प्रारंभिक और उच्चतम दर के आरक्षित निधि अनुपात निर्धारित कर सकता है। रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे गए आरक्षित नकदी निधि अनुपात की दर और विद्यमान रियायतों पर यथास्थिति जारी रखने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुरूप रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2007 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे गए आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।
- अनुसूचित बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें 1 अप्रैल 2007 से (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) की व्याख्या के खण्ड (घ) के अंतर्गत परिगणित रूप में भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं; (ii) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के साथ संपार्श्वीकृत उधार और ऋण देयता (सीबीएलओ) में लेनदेन; और (iv) उनकी विदेशी बैंकिंग ईकाईयों (ओबीयू) के संबंध में माँग और मीयादी देयताओं पर औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने पर छूट दी जाएगी।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जामाराशियों पर ब्याज दर सीमा को लिबोर के 75 आधार बिंदुओं से घटाते हुए 50 आधार बिंदुओं तक कम किया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी कोई भी बैंक शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोटों और/अथवा सिक्कों को स्वीकार करने से मना न करे।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे लघु और सीमांत किसानों, बटाईदारों आदि को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए *कोई बकाया नहीं* प्रमाणपत्र की अपेक्षा को शीघ्र पूरा करें और बदले में उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त बैंक भूमिहीन श्रमिकों, बटाइदारों और मौखिक पट्टाधारकों को ऋण के मामले में फसल की खेती के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणपत्र स्वीकार करें।
- सभी श्रेणी के बैंकों के लिए सोने और चांदी के आभूषणों के बदले 1 लाख रुपए तक के ऋणों पर जोखिमभार को 50 प्रतिशत तक घटाया गया।

मई

- निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विप्रेषण सीमा को किसी अनुमत चालू अथवा पूँजी खाता लेनदेन अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए प्रति वित्तीय वर्ष में 50,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डॉलर किया गया।
- किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- यह स्पष्ट किया गया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 2004 के अंतर्गत जहाँ जमाराशि की परिपक्वता के पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है और नामिती/वैध उत्तराधिकारी जमाखाते को बंद कराने के लिए बैंकर से संपर्क करता है, तो ऐसे मामलों में नामिती/वैध उत्तराधिकारी जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से खाता बंद किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।
- रिहाइशी आवासीय संपत्तियों के बंधक के बदले व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक के आवास ऋणों के लिए जोखिमभार को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियंत्रित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश के लिए जोखिमभार को भी 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया।

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित आंतरिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें ताकि उनपर ऋण और अग्रिमों के लिए संसाधन और अन्य प्रभारों सहित अनिश्चितकालीन ब्याज प्रभारित न किया जा सके।
- वे शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) जो राज्य में पंजीकृत हैं और जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है अथवा जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं उन्हें अनुमति दी गई की वे जोखिम सहभागिता के बिना कंपनी एजेंट के रूप में बीमा एजेंसी कारोबार शुरू कर सकते हैं बशर्ते उनके पास न्यूनतम निवल संपत्ति 10 करोड़ रुपए की हो अथवा उन्हें ग्रेड III अथवा ग्रेड IV बैंक के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे अभिदानकर्ता कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं अथवा किसी तकनीकी संस्था अथवा संगठित निकाय द्वारा प्रवर्तित निधियों (निवेश निधि नहीं) में विख्यात शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सृजित पदों के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए अभिदान हेतु विदेश में विप्रेषण कर सकते हैं।
- भारत में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी भारतीय कंपनियों (जहाँ भारतीय कंपनी की धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है) के पूर्णत: स्वाधिकृत अवनतिशील सहायक कंपनियों को निधिकृत और/अथवा गैर-निधिकृत ऋण सुविधाएं प्रदान करें।

जून

- बैंकों को एकल - कंपनी ऋण चूक स्वैप में लेनदेन की अनुमति दी गई।
- बैंकों को 1 जून 2007 से 8 प्रतिशत बचत बॉण्ड, 2003 पर वित्तीय वर्ष के दौरान देय दस हज़ार रुपये से अधिक के ब्याज पर आयकर की कटौती स्रोत पर करने के लिए कहा गया।
- विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना के अंतर्गत दिए जानेवाले ऋण की सीमा को प्रति लाभार्थी 6500/- रुपए से बढ़ाकर 15000/- रुपए तथा आवास ऋण की सीमा को 5000/- रुपए से बढ़ाकर 20,000/- रुपए कर दिया गया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने प्रयोजक बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (डीएफआइ) के साथ वर्तमान ऋण-सीमा के भीतर संघीय उधार देने में सहभागी बनने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई कि वित्तपोषित की जानेवाली परियोजना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र में आती हो तथा परियोजना का मार्गदर्शन और मूल्यांकन उनके प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान किया गया हो।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैक ऑफिस कार्य जैसे डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावेज़ों का सत्यापन और उनकी प्रोसेसिंग, चेकबुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना तथा उनके बैंकिंग कारोबार से संबंधित अन्य कार्य करने के लिए सेवा शाखाएं/केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्रों/बैंक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन कार्यालयों का ग्राहकों के साथ कोई इंटरफेस नहीं होगा तथा उन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होगी। इन कार्यालयों को एक शाखा के समान माना जाएगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता में जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति दी गई।
- शहरी सहकारी बैंकों को एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। तथापि, ऑफ लाइन डेबिट कार्ड और गैर-बैंक कंपनियों के साथ टाई-अप की अनुमति नहीं दी गई।

जुलाई

- निर्यातकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत बिन्दुओं का ब्याज अनुदान उपलब्ध।
- बैंकों को पेंशन निधि प्रबंध हेतु गठित अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंध शुरू करने की अनुमति दी गई।
- वर्ष 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा-परीक्षकों को देय पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश जारी।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय आवास बैंक/आवास और शहरी विकास निगम द्वारा जारी बांडों में 1 अप्रैल 2007 को अथवा उसके बाद उनके द्वारा किए गए निवेश, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I तथा II के लाइसेंस वाले शहरी सहकारी बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत अभिकर्ता/उप-अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
- शहरी सहकारी बैंक जो उन राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है को कतिपय शर्तों के अधीन नई शाखाएं/विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई।

अगस्त

- 6 अगस्त 2007 से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दैनिक प्रत्यावर्तनीय रिपो पर 3,000 करोड़ रुपए की सीमा को हटाया गया। 6 अगस्त 2007 से द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा हटा दी गई।
- 4 अगस्त 2007 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 50 आधार बिन्दुओं तक वृद्धि करते हुए उसे 7.0 प्रतिशत किया गया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना आवास क्षेत्र को 20 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को सूचित किया गया कि ऋण की मंज़ूरी/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार तथा ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रतिलिपि अनिवार्यत: दी जाए।
- रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर उनको उसी राज्य के भीतर उनके परिचालन क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे शहर में शाखा का स्थान बदलने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति देने पर विचार किया - (i) नया केंद्र वर्तमान केंद्र जैसा ही एक समान आबादी या उससे कम आबादीवाला हो; (ii) अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में स्थित बैंक को अन्य केंद्र के अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिले में ही स्थानांतरित किया जा सकता है; और (iii) स्थानांतरण से बैंक को लागत तथा कारोबार की दृष्टि से लाभ होना चाहिए।
- बैंकों को अपने ग्राहकों को शामिल करते हुए शाखा स्तरीय समितियों को मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, चूंकि वरिष्ठ नागरिक बैंकों में सामान्यत: एक महत्त्वपूर्ण घटक होते है, इसीलिए एक वरिष्ठ नागरिक को भी समिति में शामिल किया जाए।

सितंबर

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा स्थलों और बाज़ारों के स्थानों पर विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अधिकार प्राप्त समिति की सहमति प्राप्त कर लेने के बाद अपने अनुषंगी कार्यालयों को स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई।
- वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनकी सभी शाखाएं आवास ऋण प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करती है।
- सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया।
- रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर, बाह्य वाणिज्यिक उधार का समयपूर्व भुगतान की 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
- किसी भारतीय पार्टी की समुद्रपारीय अपने सभी संयुक्त उद्यमों/विदेश में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में कुल समुद्रपारीय निवेश की सीमा को उसकी निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

- रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वयं ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं बशर्ते मौजूदा प्रस्तावित दोनों केंद्र एक ही ब्लॉक के भीतर हों तथा पुनर्स्थापित शाखा गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को मौजूदा शाखा की तरह पूरा कर सकती है।
- क्षेत्रीण ग्रामीण बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अर्ध-शहरी केंद्रों में अपनी शाखाओं को उसी इलाके/नगरपालिका वार्ड के भीतर स्थानांतरित कर सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाखा/शाखाओं के स्थानांतरण से वह इलाका/वार्ड बैंक रहित न हो जाएं।
- जहाँ किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हानि वाली दो शाखाएं एक दूसरे से काफी कम दूरी पर हो (अर्थात् लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर), वहाँ स्थानिक विस्तार को युक्तियुक्त बनाने और स्थापना/परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से वे दोनों शाखाओं के विलयन पर विचार कर सकते हैं।

अक्तूबर

- उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निवासियों के लिए विप्रेषण सीमा को किसी अनुमत चालू अथवा पूँजी खाता लेनदेन अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100,000 अमरीकी डॉलर से 200,000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया।
- सभी वाणिज्य बैंकों, अखिल भारतीय सावधि उधार और पुर्नवित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) को सूचित किया कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री करते समय उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य में वसूली की लागत को घटाकर प्राप्त राशि के आधार पर अनुमानित नकद प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य की गणना करनी चाहिए।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू
अपने सभी पाठकों के लिए
शुखी और समृद्ध
नव वर्ष की कामना करता है

- प्रत्यक्ष और/अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा जोखिमवाले लघु और मध्यम उद्यमों को उनके ऋण जोखिम के सक्रिय रूप से प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे उद्यमों को कतिपय शर्तों के अधीन बगैर अंतर्निहित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, वायदा संविदाएं बुक/रद्द/पुन: बुक/रोल आवर करने की अनुमति दी गई।
- 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाकर उनकी माँग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत किया गया।
- कतिपय पात्रता मानदंड़ों को पूरा करनेवाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुद्रा तिजोरियाँ खोलने की अनुमति दी गई।

नवंबर

- रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों/भारतीय स्टेट बैंक की सहयोगी बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जानेवाले विशिष्ट *योग्य और समुचित* मानदण्ड निर्धारित किए।
- कच्चे हीरों के आयात के मामले में, आयात बिल/दस्तावेज़ों की सीधे प्राप्ति की सीमा 100,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 300,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
- रिज़र्व बैंक ने जमाराशियों पर अदा किए जानेवाले ब्याज पर अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए बैंकों को सूचित किया कि एक ही तारीख को मंजूर तथा एक ही परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों पर अदा किए जानेवाले ब्याज के मामले में किसी भी बैंक को कोई विभेद नहीं करना चाहिए, चाहे ऐसी जमाराशियाँ बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गई हो या बैंक के अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गई हो।
- बच्चों के विभिन्न उम्र समूहों को बैंकिंग, वित्त और केंद्रीय बैंकिंग के मौलिक स्वरूप की शिक्षा देने और महिला, ग्रामीण और शहरी निर्धनों, सुरक्षा कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे अन्य लक्ष्य समूहों को उपयोगी सूचना देने के मुख्य उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2007 को वित्तीय शिक्षण साईट शुरू किया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह अनिवार्यत: सुनिश्चित करें कि किसी मामले को न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष दर्ज करने के बाद उधारकर्ता के साथ जो भी समझौता निपटान किया जाता है, वह न्यायालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण/ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति आदेश की प्राप्ति के अधीन है।

दिसंबर

- बैंकों को मूलभूत सुविधा क्षेत्र में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों को असूचीबद्ध गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर मूलभूत क्रियाकलाप कर रही कंपनियों के दर-रहित बांडों में निवेश करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को सूचित किया गया कि म्युच्युअल फण्डों को वित्त प्रदान करते समय विवेक से काम लें और योजना की निवल आस्ति के 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर यूनिटों की पुनर्खरीद/मोचन के प्रयोजन हेतु तथा 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए केवल अस्थायी नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए म्यूच्युअल फडों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करें।
- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया गया कि वो यदि जमाकर्ता द्वारा दावा करने पर परिपक्वता पर देय ब्याज सहित जमाराशि की अदायगी में विफल होती है तो वे निम्नवत ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होंगे (i) यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से न्यूनतम 2 माह पूर्व परिपक्वता की सूचना जमाकर्ता को दे देती है और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हों किन्तु जमाकर्ता परिपक्वता पर दावा प्रस्तुत करने में विफल हो तो कंपनी दावे की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी। (ii) यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से 2 माह पूर्व परिपक्वता की सूचना जमाकर्ता को नहीं देती है तो जब जमाकर्ता दावा करेगा तक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी परिपक्वता की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी।

भूल सुधार

कृपया नवंबर 2007 के अंक की पहली पंक्ति को निम्नानुसार पढ़ा जाए - रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों/ भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के बोर्ड में निर्देशक के रूप में निर्वाचित किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जानेवाले विशिष्ट *योग्य और समुचित* मानदण्ड निर्धारित किए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**